न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर.

प्रकरण क्रमांक /2015 निग/3135/II/15

कृष्ण बहादुर सिंह पुत्र श्री देवीदत्त सिंह, व्यवसाय कृषक, निवासी ग्राम बाबेड़ी जंगल, हाल निवासी सीपरी बाजार, झाँसी (उ0प्र0)

-- आवेदन

बनाम

मध्य प्रदेश शासन, द्वारा- अपर कलेक्टर, टीकमगढ़, जिला टीकमगढ (म0प्र0)

-- निगरानी

श्री अजय श्रीवास्तव, अभि0 द्वारा आज दि. 16.9.15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 16.9.15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश, भू-राजस्व संहिता 1959, एवं संशोधन अधिनियम 2011 के अनुसार।

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर, टीकमगढ़ के राजस्व प्रकरण क्रमांक 74 बी-121-2014-15 में पारित आदेश दिनांक 15.09.2015 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है :-

1. यहकि, प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ग्राम बाबेड़ी जंगल तहसील ओरछा, जिला टीकमगढ़ स्थित भूमि खसरा नं. 27/2-1 मिन 2 रकवा 2.23 हैक्टेयर भूमि आवेदक परिवार को पट्टे पर प्राप्त हुयी थी, जो वारिसाना हक में आवेदक के नाम नामांकित हुयी, जिसे आवेदक को भूमिस्वामी अधिकार भी प्रदान किये गये तथा राजस्व अभिलेख में आवेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज है।

2. यहकि, आवेदक द्वारा भूमि को काबिज कास्त बनाने के लिए काफी धन व्यय खर्च किया, परन्तु वह काबिल कास्त

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

फार्म 'अ'

(परिपत्र दो-1 की कण्डिका 6 देखिये)

राजस्व आदेश पत्र (रेव्हेन्यू ऑर्डर शीट)

मामला कमांक 3135-दो/2015 निगरानी

कृष्ण बहादुर सिंह गाम बाबेड़ी जंगल विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन

ग्राम बाबेड़ी जंगल तहसील-- ओरछा जिला टीकमगढ़

आयुक्त के कार्यालय का प्र0क0.....कलेक्टर का कमांक 74 बी 121/14-15-

अनुविभागीय अधिकारी का कमांक ---------- तहसीलदार का कमांक

वाद विषय ----------अधिनियम किस धारा के तहत प्रस्तुत हुआ है.....

आदेश कमांक कार्यवाही की तारीख और स्थान	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आवेदन पत्र अथवा कार्यवाही	जहॉ आवश्यक हो वकीलों के हस्ताक्षर, आदेशों के पालन करवाकर हस्ताक्षर लें एंव प्रकरण की तारीख
16-9-2015	यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्र. क. 74 बी-121/14-15 में पारित आदेश दिनांक 15.9.15 के विरूद्ध म.प्र. भू राज. संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। आवेदक के अभिभाषक ने निगरानी प्रस्तुत कर बताया कि आवेदक Heart patient है जिसके इलाज हेतु पैसों का अति-आवश्यकता है यदि इलाज समय पर नहीं मिला तो उसके मरने के वाद वादोक्त भूमि उसके किस काम आवेगी, विचार किया जाय। प्रकरण में सुनवाई के पर्याप्त आधार पाये जाने पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।	

2/ प्रकरण के अवलोकन से पाया गया कि यह है कि आवेदक ने अपर कलेक्टर टीकमगढ़ को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आग्रह किया कि उसके स्वत्व एंव स्वामित्व की ग्राम ~~बम्बेड़ी~~ बवेड़ी जंगल में स्थित भूमि सर्वेक्रमांक ~~27/1/2~~ 27/2/मिन-2 रकबा 2.023 हैक्टर है (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) भूमि शासन से पटटे पर प्राप्त होने के कारण उसे वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति प्रदान की जावे। अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 74 बी7121/2014-15 दर्ज किया तथा आवेदक के आवेदन की ग्राह्यता पर सुनवाई कर आदेश दिनांक 15.9.15 पारित किया तथा विक्रय अनुमति आवेदन निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि भले ही पटटे पर प्राप्त हुई है किन्तु वर्ष 1972-73 का पटटा होने के कारण विक्रय अनुमति की आवश्यकता नहीं है फिर भी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये आवेदक ने गंभीर बीमारी मय प्रमाण के बताते हुये धन की आवश्यकता के आधार पर विक्रय अनुमति मांगी थी, जिसे न देने में अपर

कलेक्टर ने ग्राह्यता के आधार पर वास्तविकता जाने बिना ही आवेदक का विक्रय अनुमति आवेदन निरस्त करने में भूल की है। उन्होंने अपर कलेक्टर के आदेश को निरस्त करने एंव विक्रय अनुमति दिये जाने की प्रार्थना की। अनावेदक के अभिभाषक ने इसका विरोध करते हुये बताया कि अपर कलेक्टर व्दारा दिया गया आदेश सही है क्योंकि वादग्रस्त भूमि शासकीय पटटे पर प्राप्त भूमि हैं उन्होंने अपर कलेक्टर के आदेश को यथावत् रखे जाने की मांग की।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि वादग्रस्त भूमि आवेदक को किस प्रकार प्राप्त हुई है - तहसीलदार ओरछा ने पटटे के सम्बन्ध में जांच कर प्रतिवेदन दिनांक 11.9.15 पेश किया है जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि का पटटा महिला फुलझरी देवी पत्नि दुर्गासिंह को तहसील के प्रकरण कमांक 320/अ-19/1972-73 में पारित आदेश दिनांक 5-8-1973 से प्राप्त हुआ था तथा आवेदक इस भूमि का महिला फुलझरी देवी के वाद उत्तराधिकारी होने के आधार पर भूमिस्वामी बना है। स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि का पटटा 5-8-1973 से प्राप्त है

और वर्तमान में आवेदक वादग्रस्त भूमि का भूमिस्वामी है। आवेदक Heart patient है जिसके प्रमाण में विभिन्न Hospitals के परिचर्या के अभिलेख प्रस्तुत किये हैं। विचार योग्य बिन्दु यह है कि क्या तहसील के प्रकरण कमांक 320/अ-19/1972-73 में पारित आदेश दिनांक 5-8-1973 से प्रदत्त पटटे के विक्रय की अनुमति आवेदक को प्रदान की जा सकती है ?

भू राजस्व संहिता 1959 (म0प्र0) - धारा 165 (7-ख) - तथा 158(3) - का लागू होना - उपबंधों के लागू होने से पूर्व का पटटा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये - बिना अनुमति के अंतरण - उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया - उपबंध आकृषित नहीं होते - भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है। फुल्ला विरूद्ध नरेन्द्रसिंह तथा अन्य 2012 राज0नि0 256 उ.न्याया. से अनुसरित.

विचाराधीन प्रकरण में वादग्रस्त भूमि का पटटा दिनांक 5-8-1973 को प्राप्त हुआ है पटटाग्रहीता तदुपरांत उसके वारिस भूमिस्वामी भूमि के अंतरण हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण आवेदक को वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक प्रकरण कमांक 74 बी-121/2014-15 में पारित

आदेश दि. 15.9.15 त्रृटिपूर्ण पाये जाने से निरस्त किया जाता है एंव आवेदक को ग्राम ~~बाबेड़ी~~ खवेड़ी जंगल में स्थित भूमि सर्वे कमांक ~~27/1/2~~ 27/2/मि-2 रकबा 2.023 हैक्टर की विक्रय अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विक्रय-विलेख संपादित होने के दौरान शासन व्दारा प्रचलित गाईड लायन के मान से विक्रेता को विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं - उप पंजीयक संतुष्टि उपरांत विक्रय विलेख संपादित करें।

सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर